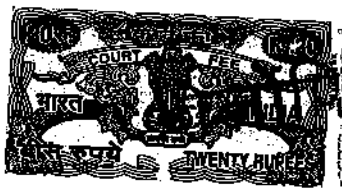

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2015 निगरानी

1. अनिल तनय हीरालाल साहू
2. रवि तनय हीरालाल साहू

दोनो निवासीगण ग्राम नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 ।

............आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार तहसील नोगांव जिला छतरपुर म.प्र. ।

..........अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध तहसीलदार तहसील नौगांव के रा0प0प्र0क 76/अ–6–अ/03–04 मे पारित आदेश दिनांक 5.6.2004 के विरूद्ध निगरानी ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , आवेदकगण की निजी स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि आराजी खसरा कमाक 1598/2 रकवा 0.704 है0 स्थित मोजा नौगांव रा. नि.मं.व तहसील नोगांव जिला छतरपुर की भूमि आवेदकगण द्वारा कय करने के पश्चात कथित भूमि की पूर्व मे नक्सा मे तरमीम नही थी जिस कारण आवेदकगण के द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय मे एक आवेदन पत्र नक्सा तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.3.04 को प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क 76/अ–6–अ/03–04 मे दर्ज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.5.04 को उक्त भूमि के रकवे के संबंध मे राजस्व निरीक्षक एंव हल्का पटवारी से प्रस्ताव मंगाया जाने हेतु आदेश जारी किया ।
2. यहकि, तहसीलदार नोगांव के आदेश के परिपालन मे राजस्व अधिकारियो के द्वारा नक्शे मे लाल स्याही से घेरकर तरमीम की गई थी परन्तु आवेदकगण को कोई सूचना व सुनवाई का मोका नही दिया गया और नाही आवेदकगण के समक्ष मे बुलाकर सीमांकन नक्सा तरमीम की गई एक पक्षिय रूप से स्वयंम द्वारा सभी प्रकिया पूर्ण कर ली गई चूकि भूमि खसरा कमाक 1598/2 रकवा 0.704 है0 था तथा तरमीम करते समय राजस्व अधिकारियो द्वारा गुनिया से सही माप न कर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र क्र निग/३११६/दो/१५ जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अनिल / म प्र शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–3–2016	मैंने आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. आवेदकपक्ष पूर्व में दि २३-३-०४ को भूमि स नं १५९८/२ मौजा नौगाँव की नक्शे पर तरमीम हेतु तहसीलदार नौगाँव के समक्ष आवेदन दिया था जिस पर से प्र क्र ७६/अ६अ/०३-०४ के आदेश दि ५-६-०४ से तहसीलदार ने तरमीम का आदेश पारित किया. तहसीलदार के इस आदेश दि ५-६-०४ के विरुद्ध आवेदकपक्ष ने वर्ष २०१५ में ११ साल बाद उक्त तरमीम के संशोधन हेतु यह कहते हुए आवेदन लगाया है कि उक्त तरमीम से उसकी भूमि का रकबा १९ आरे कम हो गया है. तर्क और अभिलेख के प्रकाश में मैं सर्वप्रथम तो इस ११ वर्ष के विलम्ब का कोई भुत ठोस कारण आवेदकपक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं पाता हूँ. उन्होंने केवल यह लिखा है कि वर्ष २००४ के आदेश की जानकारी उन्हें नहीं मिली, कृषि कार्य के सीज़न में उन्हें रकबा कम होने का पता चला. जबकि तहसील में आवेदन उन्होने ही किया था, तो तरमीम आदेश की जानकारी उन्हें क्यों नहीं हुई और व्रस्श २०१५ के कृषि सीज़न में ही उन्हें रकबा कम होने की जानकारी क्यों और कैसे हुई, इन सब बिन्दुओं पर आवेदकपक्ष की ओर से कोई खुलासा नहीं है. अतः, प्रथमदृष्टया मैं इस विलम्ब को माफ़ी योग्य नहीं पाता हूँ.	

इसके अतिरिक्त, यदि आवेदकपक्ष को तरमीम में संशोधन कराना है तो इस हेतु आवेदन वे कलेक्टर के समक्ष दे सकते हैं, इसके लिए उन्हें रा मं सीधे आने की आवश्यकता नहीं है.

उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में, विलम्ब के पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने के कारण और अधीनस्थ स्तर पर रेमेडी की सम्भावना होने के कारण, मैं यह निगरानी आवेदन इसी स्तर पर रा मं से अग्राह्य करता हूँ.

आवेदन अग्राह्य.
आदेश पारित.
पक्षकार सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हों.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य